तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा
23.10.20	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० हैं। बहस सुनी। वास्ते आदेश 28.10.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
28.10.20	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप० हैं। अप्रार्थी नं. 2 की ओर से आज भी कोई उप० नहीं है। एक तरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथन, वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोषादि, मौका कमिश्नर की रिपोर्ट, तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक अनुशीलन मनन किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर सम्यक विचार किया गया। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विधिक विचार किया गया। प्रार्थी द्वारा निम्न कथनों सहित प्रा० पत्र प्रस्तुत किया है, कि प्रार्थी की भूमि साबिक ख०नं. ४८३ रकबा ६.११ थी जिसके नये खसरा नं. ६६४ रकबा ०.८२ हे. दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी व अप्रार्थी नं. २ जो उसका सगा भाई है, उसकी भूमि मौके पर प्रार्थी की भूमि से लगी हुई है। अप्रार्थी नम्बर २ अपने स्थान पर यथावत व प्रार्थी भी अपने स्थान पर यथावत काबिज चला आ रहा है। सेटलमेन्ट से. सेटलमेंट	

उप खण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी नम्बर 2 व प्रार्थी की
भूमि के मध्य अप्रार्थी नम्बर 1 की भूमि खसरा
नम्बर 665 को नक्शे में दर्शा दिया गया है प्रार्थी
पूर्ववत काबिज है. खसरा नम्बर 665 पर प्रार्थी
का ही कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी
नम्बर 2 के मध्य एक ही मेड़ है। दोनों की
भूमि के मध्य कोई खेत नहीं है बन्दोबस्त
के दरम्यान हमारी भूमि के मध्य अप्रार्थी नम्बर
1 के खेत को नक्शे में दर्शा दिया है, जिसे
दुरुस्त किया जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह
भी कथन किया कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर
483 में से 1/3 भूमि चैनकंवर को बेचान की
कर दी है. जिसका नया नक्शा की गलत तरमीम
किया गया है, उसे भी सही स्थान पर
तरमीम किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रकरण
दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को तलब
किया। भू. अभिलेख निरीक्षक अमोद को प्रकरण
में मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। भू. अभिलेख
निरीक्षक अमोद द्वारा मौका कमिश्नर रिपोर्ट
प्रस्तुत की गई, जिसे शामिल मिसल किया
गया। मौका रिपोर्ट में मौका कमिश्नर के
द्वारा अंकित किया कि प्रार्थी नरेन्द्र कुमार
द्वारा ख० नं. 483 में से रकबा की हाक का
रकबा 13 बिस्वा चैनकंवर पत्नी गजानंद को
बेचान किया गया था जिसका हाल खसरा

उप खण्ड अधिकारी
[illegible]मंडी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की मैं जा
	नम्बर 749/664 है। मौका अनुसार प्रार्थी का कब्जा खसरा नं. 665 पर है, तथा बेचान की गई भूमि 13 बिस्वा पर होता का कब्जा भी खसरा नम्बर 665 के रकबा तक ही है। अप्रार्थी नम्बर 1 का मौके पर कोई कब्जा नहीं होना अंकित किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम चन्द्रपुरा 2070-73 खाता नं० 88, खाता नं. 6, खाता नं० 300, नकल नक्शा ग्राम चन्द्रपुरा (आंशिक) नकल फर्द मिलान ग्राम चन्द्रपुरा सन् 2004-24, नकल जमाबंदी ग्राम चन्द्रपुरा सं० 2057-2060 खाता नं. 7,8, नकल जमाबंदी ग्राम चन्द्रपुरा संवत 2057-60 खाता नं० 78 से 85, 245 से 248/1, छाया प्रति नकल जमाबंदी ग्राम चन्द्रपुरा 2049-52 खाता नं. 79 से 82, खाता नम्बर 218 से 220, छायाप्रति नकल नक्शा संवत 2012 सन् 1954-55, (किता 2), छाया प्रति नकल खसरा गिरदावरी ग्राम चन्द्रपुरा संवत 2049-52, नकल छायाप्रति जमाबंदी ग्राम चन्द्रपुरा सं. 2049-52 खाता नम्बर 79 खाता नं. 219, छायाप्रति नकल नक्शा ट्रेस ग्राम चन्द्रपुरा प्रस्तुत किये। मौका कमिश्नर रिपोर्ट के साथ नकल छायाप्रति रजिस्टर्ड	

उप खण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
बयनामा द्वारा प्रार्थी बलक चैनकंवर दि. 19.2.07 मय जमाबन्दी ग्राम चैहडुरा खाता नम्बर 58 सम्वत 2074-77, खाता नं. 7, खाता नम्बर 97, प्रस्तुत की गई। पत्रावली का भली भाँति सम्यक अवलोकन करने के उपरान्त हम यह पाते है, कि प्रार्थी के नाम खसरा नम्बर 483 की 6½ बीघा भूमि दर्ज थी तथा अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम भी ग्राम चेहडुरा की खसरा नम्बर 483 की 7 बीघा भूमि दर्ज थी। दोनों भूमियों का साबिक खसरा नम्बर 483 एक ही था। बन्दोबस्त के उपरान्त हस्ब कब्जे मिलान ख.नं. 483 (कब्जा हा1) का हाल खसरा नम्बर 664 (कब्जा) 1.05 हे. तथा 483 खसरा नम्बर 665 (कब्जा) (कब्जा (2)) का हाल खसरा नम्बर 1.13 हे० पैमूद किये गये थे। साबिक खसरा नं. 484 अप्रार्थी नम्बर 2 के नाम दर्ज था जिसके हाल खसरा नम्बर 666 व 667 पैमूद किये गये तथा नक्शा भी नया कायम किया गया था। प्रार्थी को उक्त ख० नं. 666, व 667 पर कोई ऐतराज नही है। मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 665 जो अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम दर्ज है, उस पर प्रार्थी का कब्जा है, तथा उक्त भूमि के नक्शा में हिस्सा चैनकंवर का 0.10 हे. भूमि पर कब्जा अंकित किया गया है उप खण्ड अधिकारी [illegible]मंडी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	अप्रार्थी नम्बर -1 का कहीं भी कब्जा नहीं होना अंकित किया गया है। साबिक एवं हाल रिकार्ड तथा मौका रिपोर्ट के अवलोकन के उपरान्त हम यह पाते हैं, कि साबिक खसरा नम्बर 483 के दो नये नम्बर बनाये जाकर नक्शा दुरिस्त के पैरुद किया गया है खसरा नम्बर 665 को अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम नक्शे में दुरिस्त अंकित कर दिया गया है प्रार्थी एवं अप्रार्थी नम्बर 2 की भूमि के मध्य जब कोई खेत था ही नहीं तो उक्त भूमि के मध्य कोई आकृति नक्शे में किस प्रकार पैरुद की गई ? नक्शे की कब्जा स्थिति में भिन्नता हो बन्दोबस्त विभाग द्वारा किया गया उक्त कृत्य व उसके परिणाम को उचित नहीं ठहराया जा सकता।	
	अतः गुणावगुण के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि खसरा नम्बर 664 रकबा 0.95 हेक्टर तथा खसरा नम्बर 749/664 रकबा 0.10 हे एवं खसरा नम्बर 665 का रकबा 0.08 हेक्टर [ख०नं० 664 के सहारे-सहारे] अप्रार्थी नम्बर 1 अमीसुद्दीन पुत्र अजीजुद्दीन के नाम दर्ज किया जावे। ख० नं० 665 रकबा 0.95 हेक्टर प्रार्थी के नाम [उत्तर दिशा] दर्ज किया जावे। साथ ही खसरा नम्बर 665 रकबा 0.10 हेक्टर [दक्षिण हिस्सा] चैनकंवर पत्नी गजानंद कुमावत के	

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर/भीलवाड़ा

ीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नाम पर दर्ज किया जावे। पक्षकारान् के नाम दर्ज रहन यदि कोई हो वह पक्षकारों के हिस्से पर ही दर्ज रहेगा। नकलें मे तामील की जावे। रिकार्ड में अमल दरामद दरामद किया जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील कैसला मुताबिक की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी ([illegible])	